भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

आरबीआई/2024-25/16
विवि.आरईटी.आरईसी.12/12.01.001/2024-25 अप्रैल 15, 2024

सभी वाणिज्यिक बैंकों के अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी

महोदया/ महोदय,

**सीआईएमएस प्रोजेक्ट कार्यान्वयन - सीआईएमएस पोर्टल पर सांविधिक रिटर्न (फॉर्म ए, फॉर्म VIII और फॉर्म IX) प्रस्तुत करना**

मास्टर निदेश - भारतीय रिज़र्व बैंक [आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)] दिशानिर्देश - 2021 (25 सितंबर 2023 को अद्यतन) के पैरा 29 के संदर्भ में, बैंक एक्स्टेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में सांविधिक फॉर्म ए, फॉर्म VIII और फॉर्म IX (अदावी जमाराशि) रिटर्न प्रस्तुत करते हैं।

2. रिज़र्व बैंक की अगली पीढ़ी के डेटा वेयरहाउस, अर्थात केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) प्रारम्भ करने के उपरांत, यह निर्णय लिया गया है कि फॉर्म ए, फॉर्म VIII और फॉर्म IX रिटर्न को एक्सबीआरएल पोर्टल से सीआईएमएस पोर्टल पर स्थानांतरित किया जाए। तदनुसार, बैंक रिपोर्टिंग क्रमशः शुक्रवार 14 जून 2024 से पाक्षिक फॉर्म ए रिटर्न, मई 2024 से मासिक फॉर्म VIII रिटर्न और 31 दिसंबर 2024 से वार्षिक फॉर्म IX रिटर्न केवल सीआईएमएस पोर्टल पर प्रस्तुत करेंगे।

3. बैंक ऊपर इंगित की गई तारीख/महीने तक एक्सबीआरएल और सीआईएमएस पोर्टल दोनों पर फॉर्म ए और फॉर्म VIII प्रस्तुत करना जारी रखेंगे।

भवदीय,

(मनोरंजन पाढ़ी)
मुख्य महाप्रबंधक



Caution: RBI never sends mails, SMSs or makes calls asking for personal information like bank account details, passwords, etc. It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers.